।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2024/ 1099 दिनांक : 23.04.2024

-:: आदेश ::-

(कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 5)

आयुक्तालय जोधपुर में लोकसभा आम चुनाव-2024 दिनांक 26.04.2024 को होने जा रहे हैं। **मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले निर्वाचन तंत्र के लिए** न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए, इस अवधि में अनिवार्य रूप से वह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिये जाते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आचार संहिता की क्रियान्विति, छात्रों के अध्ययन तथा जनहित में कोलाहल को नियंत्रित किया जाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं शरद चौधरी, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित आदेश क्रमांक 642 दिनांक 16.03.2024 के क्रम में सम्पूर्ण आयुक्तालय जोधपुर में मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि (दिनांक 24.04.2024 सायं 06.00 बजे से 26.04.2024 को रात्रि 11.59 बजे तक) में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित करता हूँ। इस आदेश के उल्लंघन कि स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी, वाहन चालक, ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसके संचालक अथवा संबंधित कोई भी जो उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा, उसके विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

चुंकि यह आदेश जनहित में जारी किया गया है तथा अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा व्यक्तिगत तामिल करवाना सम्भव नहीं है, अतः एक पक्षीय जारी किया जाता है। संबंधित विभाग एवं जनसंपर्क अधिकारी व्यापक प्रचार-प्रचार द्वारा आम जनता को सूचित करेंगे।

यह आदेश दिनांक 24.04.2024 (बुधवार) सायं 06.00 बजे से दिनांक 26.04.2024 (शुक्रवार) रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर

23/04/2024

0291-2650900 ☎, 2650903 🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर।
3. अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टेलीजेंस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, एस.एस.बी. जोन, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर शहर/ग्रामीण।

प्रतिलिपिः निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम/यातायात/अपराध, आयुक्तालय जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी- जोधपुर शहर/लूणी/ओसियां/बिलाड़ा/भोपालगढ।
4. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
5. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
8. समस्त थानाधिकारी, आयुक्तालय जोधपुर।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त,
मुख्यालय, जोधपुर

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय
जोधपुर

0291-2650900 ☎, 2650903 🖷, cp-jodhpur-rj@nic.in✉, CP Jodhpur(facebook), @cp_jodhpur(Twitter), PIN-342003